



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 27.03.2024

थाना कैराना पुलिस द्वारा 02 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 29 पेटी अवैध अंग्रेजी/देशी शराब (कीमत लगभग 1,50,000/-रुपये), शराब तस्करी मे प्रयुक्त कार व शराब तस्करी से प्राप्त किये गये 85,000/-रुपये बरामद ।

आज दिनांक 27.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव वर्ष 2024 को शान्तिपूर्ण एवं सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाए जा रहे अवैध शराब निर्माण/तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 02 अभियुक्तों को पानीपत बाईपास पुल कैराना से 29 पेटी अवैध अंग्रेजी/देशी शराब (कीमत लगभग 1,50,000/-रुपये), तस्करी मे प्रयुक्त कार व शराब तस्करी से प्राप्त 85,000/- रुपये सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.पंकज कुमार पुत्र वैधनाथ निवासी गली नं0 09 संजय कालोनी थाना समयपुर बादली नार्थ वेस्ट दिल्ली हाल पता गली नं0 03 थाना स्वरुप नगर नार्थ वेस्ट दिल्ली।
- 2.रोहित सिंह पुत्र लाल बहादुर सिंह निवासी गली नं0 09 संजय कालोनी थाना समयपुर बादली नार्थ वेस्ट दिल्ली।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.अवैध अंग्रेजी शराब 19 पेटी हरियाणा मार्का।
- 2.अवैध देशी शराब 10 पेटी हरियाणा मार्का।
- 3.शराब तस्करी मे प्रयुक्त ब्रेजा कार रजि0नं0 DL11CD6706
- 4.शराब तस्करी से प्राप्त 85,000/- रुपये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-श्री वीरेन्द्र कसाना थानाध्यक्ष थाना कैराना जनपद शामली।
- 2-उ0नि0 श्री अमरदीप थाना कैराना जनपद शामली।
- 3-है0का0 वरणकार थाना कैराना जनपद शामली।
- 4-है0का0 कुलवन्त थाना कैराना जनपद शामली।
- 5-है0का0 बाबूराम थाना कैराना जनपद शामली।

